न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2021 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2021/4**

1. कशमीरा देवी पुत्री लौंगुराम पत्नि देवराज पुत्र हरीराम जाति चौधरी निवासी जिनलोर तहसील देवरा जिला कांगड़ा(हि.प्र)
2. इच्छा देवी पुत्री लौंगुराम पत्नी देवराज पुत्र खैरातीलाल जाति चौधरी निवासी फारिया तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हि.प्र)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. रक्षा देवी पुत्री लौंगुराम पत्नी प्रकाश चन्द्र जाति चौधरी निवासी छबड़ा इन्द्रा कॉलोनी, मु. पोस्ट हरीपुर तहसील देहरा गोपीपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र)
2. राजस्थान सरकार जबरिये तहसीलदार श्री विजयनगर बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स विजय कुमार पारीक
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ज्ञान सिंह

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.12.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर ने वादग्रस्त भूमि चक 06 एसटीबी–बी तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्थर नं. 214/370 की 6.200 हैक्टयर कमाण्ड मय खाला भूमि का नामांतरकरण गिला देवी से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रक्षा देवी के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेशों के पालना में उक्त वादगत भूमि का नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 20.02.2006 स्वीकृत कियां। तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 20.02.2006 को यथावत रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 02.12.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय ने अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2020 एवं अदालत मातहत तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 20.02.2006 रिकॉर्ड प्राकृति न्याय, कानून के विपरित होने से कायम रहने योग्य नहीं है। अदालत गातहत द्वारा इंतकाल आदेश से पूर्व राजस्थान में प्रकाशित अंक दैनिक भास्कर अखबार में आपत्ति प्रकाशन करवाया गया जवकि अपीलांट्स हिमाचल प्रदेश की निवासी है। अदालत मातहत द्वारा वसीयत की सत्यता व वसीयत के पंजीयन के संबंध में कोई जांच नही की तथा तहसीलदार द्वारा वसीयत के गवाहों के वसीयत सावित ही नही करवाई। मृतक गिलो देवी, रक्षा देवी,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कश्मीरों देवी, इच्छा देवी ने दिनांक 22.06.1973 को एक प्रार्थना–पत्र सर्टिफाइग अथोरिटी डिप्टी कमिश्नर रिहेबिलिटेशन विभाग के समक्ष नियम 5(2) रूल के तहत नियम 1972 के तहत सर्टिफिकेट स्वीकार करने हेतु आवेदन पेश किया था। उस आवेदन के पैरा नं. 5 में फैमिली मैम्बर के नाम व प्रार्थी से संबंध दर्ज है तथा सर्टिफिकेट चारों के नाम से जारी हुआ। फार्म नं. 8 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.1973 को नोटिस जारी हुआ, क्रम सं. 2888 जारी हुआ जिसमें चारों के नाम से दर्ज थे। विवादित भूमि परिवार के चारों सदस्यों के नाम आंवटित हुई थी। चारों का बहिस्सा बराबर था अकेली गिलों देवी का हक नहीं था। इस कारण गिलों देवी द्वारा की गई वसीयत तमाम भूमि की शून्य अवैध व प्रभावहीन दस्तावेज है तथा सनद भी अवैध दस्तावेज है जो मात्र गिलों देवी के नाम साज बाज कर करवाई गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने प्रकरण संख्या 02/2006 को ध्यान में ना रखकर एवं उसका विवेचन किए बिना ही आदेश पारित किया है। प्र.सं. 02/2006 के आदेशिका दिनांक 25.01.2006 में वारिसों को नोटिस जारी होने बाबत् प्रष्ठांकन दर्ज है परन्तु वारिसान को नोटिस जारी ही नही किये। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा इस बिन्दू की जांच नही की क्या गिलो देवी सम्पूर्ण जमीन की वसीयत करने में सक्षम थी अथवा नही क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे जिससे यह साबित था कि अपीलाधीन कृषि गिला देवी व उसकी 3 पुत्रियों के नाम आवंटन थी ऐसी स्थिति में गिलों देवी वसीयत करने में सक्षम नही थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दू को दरकिनार कर आदेश पारित किया है। वसीयत के संबंध मे न तो कोई साक्ष्य व ना ही रेस्पोडेन्ट ने कोई शपथपत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन किया बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जो प्रक्रिया पत्रावली मे अपनाई गई वह भी संदेहास्पद है। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पत्रावली में दर्ज अहकाम दिनांक 04.01.2006 को शुरू किया गया तथा दिनांक 25.01.2006 पेशी रखी गई। हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई तथा वारिसों की सूची मांगी गई तथा पत्रावली दिनांक 29.02.2006 को बिना रिपोर्ट प्राप्त हुए अभियान मे जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाधीन भूमि हिमाचल प्रदेश से विस्थापित होने व इनकी भूमि पौंगबाध विस्थापित में अवाप्त होने पर आवंटन हुई थी तथा भूमि पिता के नाम थी उसके बाद चारों के नाम दर्ज हुई। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ दिनांक 02.12.2020 व आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 20.02.2006 निरस्त किये जावे, अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर तमाम भूमि में इंतकाल दर्ज किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दौराने बहस में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता के ना मसे पुख्ता आवंटन दिनांक 22.06.1973 को हुआ जिसके खातेदारी अधिकार दिनांक 15.09.1994 को मृतक गिलोदेवी के नाम से जारी हुए तथा गिलोदेवी ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 18.05.2005 को रजिस्टर्ड वसीयत करवाई है गिलोदेवी के मरने के बाद दिनांक 20.02.2006 को यह जैर अपील आदेश पारित हुआ है। जिसके विरूद्ध 7 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत हुई है इस रकवा पर कब्जा मृतक गिलोदवी के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट संख्या कश्मीरा देवी का व गिलादेवी की मृत्यु दिनांक 10.09.2005 को होने के बाद मजमेआम मे राजस्व कैम्प के दौरान यह इंतकाल रक्षादेवी के नाम दर्ज हुआ इस वसीयत की वसीयत के इंतकाल की अपीलांट्स को पुरी परी जानकारी थी। अपीलांट अपने आप को 1/4 व 1/4 हिस्सा की काश्तकार बता रही है एक काश्तकार तो अपने खेत भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आता जाता है रकम मामला भी भरता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम इंतकाल दिनांक 20.06.2006 को हुआ जिसकी जानकारी अपीलांट्स को पूर्णतया थी। उक्त वादगत रकबा के खातेदारी अधिकार दिनांक 15.09.1994 को गिलोदेवी के नाम से जारी हुए है तमाम रकबा की किश्ते गिलोदेवी ने जमा करवाई थी आवंटन गिलोदेवी अकेली को था राजस्व रिकॉर्ड मे यह रकबा गिलोदेवी के नाम से ही दर्ज चला आ रहा था गिलादेवी के आवंटन के विरूद्ध अपीलांट्स ने कोई अपील पेश नही की है। उक्त वादगत रकबा की वसीयत करने का अधिकार गिलोदेवी अकेली को था। गिलोदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 18.05.2005 को उप– पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर यह रजिस्टर्ड वसीयत करवाई है वसीयत आज भी प्रभावी है वसीयत निरस्त करवाई बगैर अपीलांट ना तो घोषणात्मक दावा कर सकते व ना ही दावा पेश कर सकते रजिस्टर्ड वसीयत किसी भी न्यायालय ने निरस्त नही की है। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने दिनांक 20.06.2006 का निर्णय पारित कर इंतकाल तस्दीक किया है। इंतकाल से अधिकार तय नही होते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। मृतक गिलो देवी, एवं तीनों पुत्रीयां रक्षा देवी, कश्मीरों देवी इच्दा देवी ने एक प्रार्थना–पत्र Rule 5(2) of the Rajasthan colonisaion (allotment of goverment land to pong dam oustees in the rajasthan canal colony) Rules 1972 के अन्तर्गत The certifying Authority, (Deputy commissioner, Resettlement & Rehabilitation Beas Project] Talwara Township के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन मे अपीलांट का नाम परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज हैं तथा सर्टिफिकेट भी चारों चारों सदस्यों के नाम से जारी हुआ है। नियम 5(6) अन्तर्गत एवं फार्म नं. 8 प्रारूप में जारी नोटिस क्रमांक 2888 दिनांक 22.06.1973 में भी चारों के नाम दर्ज हैं। उक्त वादगत भूमि चारों परिवार के सदस्यों मृतक गिलो देवी, एवं तीनों पुत्रीयां रक्षा देवी, कश्मीरों देवी इच्दा देवी चारों का आवंटीत हुई और सभी का बराबर हिस्सा बनता है किसी एक का नही। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 20.02.2006 एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 02.12.2020 न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 20.02.2006 एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 02.12.2020को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को निदेर्शित किया जाता है कि वादगत भूमि का नामांतरकरण मृतक गिला देवी की तीनों पुत्रीयां अपीलांट संख्या 1 ता 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर